

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण/भूगोल /2019-20/1-575 दिनांक-29.09.2019 के तहत सुरेन्द्र कुमार, व्याख्याता, भूगोल राउमावि, रतनपुरा, 4 आर टी पी हनुमानगढ़ का स्थानांतरण राउमावि मलखेड़ा, भादरा, हनुमानगढ़ किया गया। सुरेन्द्र कुमार ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर में अपील संख्या 593/2019 सुरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 593/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.19 द्वारा अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार को प्रत्यर्थी विभाग के सहाय अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पति-पत्नी प्रकरण पारस्परिक स्थानान्तरण आवेदन व हृदय एवं पैर संबंधी समस्या से ग्रसित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि मोरजण्ड सिखान, सगरिया, हनुमानगढ़ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरगंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में ही किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।


(नधमल डिडेल)

आई.एस.ए.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 8/11/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/को.के/19-20/448

> प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ़ को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे सुरेन्द्र कुमार के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जॉच अनुभाग-प्रथम को निजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
05. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय डैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधान्याचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रायली


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान